न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 32/2017 **दायरा दिनांक : 27.02.2017**

उनवान

1— मथुरा लाल वल्द रामचन्द्र, जाति माली, निवासी डोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :—

1/1— मांगी लाल वल्द मथुरा लाल, जाति माली, निवासी डोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/2— श्रीमती कान्ती बाई पत्नी पत्नी रामनाथ पुत्री मथुरा लाल, जाति माली, निवासी बडवा, तहसील अन्ता, जिला बारां

1/3— श्रीमती शान्ति बाई पत्नी नानूराम मथुरा लाल, जाति माली, निवासी सुण्डकिया, तहसील सांगोद, जिला कोटा

1/4— श्रीमती संतोष बाई पत्नी सूरजमल मथुरा लाल, जाति माली, निवासी सारोला कलॉ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/5— श्रीमती रोशन बाई पत्नी सत्यनारायण मथुरा लाल, जाति माली, निवासी रामपुरिया, तहसील अटरू, जिला बारां

1/6— श्रीमती कंवरी बाई बेवा पत्नी मथुरा लाल, जाति माली, निवासी डोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— नारायण वल्द धूली लाल, जाति माली, निवासी डोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :—

2/1— नाथू लाल वल्द नारायण, जाति माली, निवासी डोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2/2— कस्तुरी बाई पुत्री नारायण लाल पत्नी श्योजीलाल, जाति माली, निवासी मोईकला, तहसील सांगोद, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1— अमर लाल वल्द भैरू लाल, जाति धाकड़, निवासी डोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :—

1/1— शंकरलाल वल्द अमर लाल, जाति धाकड़, निवासी डोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/2— रूप चन्द आत्मज अमर लाल, जाति धाकड़, निवासी डोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/3— पार्वती बाई बेवा श्री अमर लाल, जाति धाकड़, निवासी डोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/4— श्रीमती रामप्यारी बाई पत्नी बाबूलाल पुत्री अमर लाल, जाति धाकड़, निवासी सरखण्डिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री चरण सिंह एवं श्री आशीष भारद्वाज अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 02.05.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या — 967/84 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.1985 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम सूमर, तहसील खानपुर में पुराने खसरा नम्बर 1201/605 रकबा 8 बीघा और नये खसरा नम्बर 856 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा है । धूलीलाल की मृत्यु हो चुकी है परन्तु रेकार्ड में अभी भी धूलीलाल का नाम चला आ रहा है । धूली लाल ने सन् 1948 में वादी के पिता को आराजी 245 रूपये में बेचान कर कब्जा संभला दिया था तब से इस आराजी पर वादी के पिता और उसके बाद वादी का कब्जा चला आ रहा है । प्रतिवादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 183 वादी को बेदखल करने के लिए पेश किया था जिसका निर्णय अपील संख्या 122/79 दिनांक 10.08.1981 को वादी के पक्ष में हो चुका है । प्रतिवादी का दावा खारिज किया गया है । वादी का कब्जा माना गया है । वादी खातेदार कृषक हो चुका है । अतः वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.12.85 से दावा वादी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी को कभी भी रेस्पोडेंटगण के दादा को बेचान नहीं किया गया है । कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया गया है । मौखिक साक्ष्य के आधार पर विक्रय माना गया है । अपीलांट के पिता ने रेस्पोडेंट के खिलाफ धारा 43 ए और 183 का दावा पेश किया था । अपीलांट के पिता के पक्ष में डिक्री भी हुआ था । रेस्पोडेंट के द्वारा अपील की गई । अपील में एक पक्षीय सुनवायी की गई है । अपीलांट के पिता को न्यायालय ने नहीं सुना जिसकी अपील अपीलांटगण ने राजस्व मण्डल अजमेर में पेश कर

रखी है जो विचाराधीन है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.01.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का कभी भी विक्रय अपीलांटगण के दादा ने नहीं किया है । अपीलांटगण का जो बेदखली का दावा है उसकी द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में जैरकार है । अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया था । अतः न्याय हित में अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि विवादित आराजी के खातेदार धूल्या ने खसरा नम्बर 1201/806 सन् 1948 में 245/– रूपये नकद प्राप्त कर बेचान की थी । यह तथ्य रजिस्टर, इंतकाल मौजा सूमर 1653 दिनांक 07.07.50 पर अंकित नोट से स्पष्ट है, जिस पर धूल्या का भी अंगूठा लगा हुआ है परन्तु रकम 245/– रूपये होने से अमल नहीं किया जा सका । इन तथ्यों को

छुपाते हुए धारा 43 ए व 183 का दावा पेश किया गया है जो सन् 1979 में डिक्री किया गया है, इसकी प्रथम अपील स्वीकार की गई । बावजूद सूचना अपीलांट न्यायालय में नियत तारीख में नहीं आये । अतः उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई । अपीलांट के द्वारा सन् 1985 के फैसले के खिलाफ 32 वर्ष बाद अपील पेश की गई है । मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज होने योग्य है । अपील गम्भीर रूप से अवधि बाधित है । प्रार्थना पत्र असत्य एवं आधारहीन कथनों पर आधारित है । आर बी जे (12) 2005 पेज 132, आर बी जे (7) 2000 पेज 157, आर आर टी 2017 (1) पेज 117, आर आर टी 2007 (2) पेज 939, आर आर टी 2014 2014 (1) पेज 155, आर आर डी 2016 (2) पेज 1110 उद्धरत की । रेस्पोडेंट अमर लाल के पिता ने 1948 में धूल्या से आराजी क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । रेस्पोडेंट का कब्जा वादग्रस्त आराजी 1948 से प्रमाणित है । इन तथ्यों के आधार पर अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय सन् 1985 में पारित किया गया था । अपील गम्भीर रूप से अवधि बाधित है और प्रकरण में प्रतिवादीगण की विधि सम्मत रूप से तामील भी करवायी गयी थी । डिले को कन्डोन करने के लिए अपीलांट के द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उसके तथ्यों को अवलोकन किया गया । इसमें यह अंकित किया गया है कि चूंकि प्रकरण अपीलांटगण के पिता/पति के द्वारा लड़ा गया था । अपीलांटगण को कानून की जानकारी नहीं थी । पिता/पति के द्वारा जानकारी नहीं दी गई थी । उनकी मृत्यु के बाद अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.01.2017 को हुई । अपीलांटगण द्वारा विलम्ब के लिए जो कारण बताये गये हैं, वो मान्य नहीं है । आर बी जे (12) 2005 पेज 132, आर बी जे (7) 2000 पेज 157, आर आर टी 2017 (1) पेज 117 यहां चस्पा होती है । इन तथ्यों

के आधार पर अपील गम्भीर रूप से अवधि बाधित होने के कारण विलम्ब का शमन किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अवधि बाधित होने के कारण खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.85 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा